

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या -02 मैनपुरी ।

अन्तर्गत M.V एक्ट

थाना यातायात पुलिस, जिला मैनपुरी।

दिनांक: 09.05.2026

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।
वर्तमान प्रकरण मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध से सम्बन्धित है
तथा दिनांक 31-12-2021 से पूर्व से लम्बित है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन व विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) अध्यादेश 2023(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) द्वारा उत्तर
प्रदेश दण्ड विधि(अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन)
अधिनियम 1979 की धारा 9 में उपधारा 2 में शब्द और अंक " 31 दिसम्बर 2016"
के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 2021" रख दिये जाने सम्बन्धी संशोधन
किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन व विचारणों का उपशमन)
(संशोधन) अध्यादेश 1979 की धारा 9 के अनुसार तथा माननीय उत्तर प्रदेश राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या- 1651/S.L.S.A-127/2022(ऋ/सरन)
दिनांकित मई 2023 को दृष्टिगत रखते हुये 31 दिसम्बर के पूर्व से लम्बित प्रस्तुत वाद
की कार्यवाही को उपशमित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल
अभिलेखागार हो।

(रुबी सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-02
मैनपुरी।

JO CODE UP-4705